

क्रमांक : प. 3 (2) वित्त/साविलेनि/2020

जयपुर, दिनांक : 28-09-2026

आदेश

विषय : लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम भाग-II के परिशिष्ट-XVI में संशोधन।

राज्यपाल महोदय लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के परिशिष्ट-XVI में निम्नांकित संशोधन करने के आदेश एतद्वारा प्रदान करते हैं:-

1. The existing words "two consecutive years" appearing in item (iv) of VIII.3-REMOVAL FROM THE REGISTER of Section VIII - Standard Code Regarding Demotion, Removal & Black Listing/Suspension and Debarring shall be substituted by the words "four consecutive years".
2. The existing words "two years" appearing in item VIII.6 REVIEW OF APPROVED LIST OF CONTRACTORS:of Section VIII - Standard Code Regarding Demotion, Removal & Black Listing/Suspension and Debarring shall be substituted by the words "four years".

उपरोक्त आदेश लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के भाग-II के परिशिष्ट-XVI के बिन्दु VII.2 में किये गये पूर्व संशोधन दिनांक 03.04.2025 से प्रभावी होगा।


(महेन्द्र मोहन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :-

1. अति.मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण।
3. विशिष्ट उपाय सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
5. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
6. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव/मुख्य अभियंता, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
9. वित्तीय सलाहकार, समस्त निर्माण विभाग राजस्थान।
10. कोषाधिकारी समस्त।
11. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग(कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित।
12. सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को भेजकर लेख है कि इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावे।

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर।
2. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण।


मुख्य लेखाधिकारी

(PWFCAR-119/2026)